

/3060709/2023

भारत सरकार **GOVERNMENT OF INDIA**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
(रेलवे बोर्ड **RAILWAY BOARD**)

रेल भवन, नई दिल्ली - 110001
Rail Bhawan, New Delhi - 110001
February 10th, 2023

No. **2022/TC(FM)/01/02**

The General Managers,
All Indian Railways,

Sub: Amendment in I.R.C.A. Red Tariff No. 20 (Railway Red Tariff Rules, 2000) - inclusion of additional commodities for movement of consignments as parcel in passenger carrying trains and parcel trains.

In view of the changing nature of parcel traffic, it has been decided to include certain commodities (such as household cleaning/ sanitizing products, cosmetics/ personal hygiene products, Lithium/ Lithium-ion batteries, battery-powered vehicles, etc) in the I.R.C.A. Red Tariff No. 20 (Railway Red Tariff Rules, 2000) - to facilitate movement of these commodities via Railways' parcel services.

The Red Tariff has accordingly been modified vide the Gazette Notification No. GSR 83(E) dated 3.2.2023 (enclosed herewith).

The aforementioned notification contains references to RID (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail), which is included in Appendix-C of Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF). For convenience, the pdf of said document, as well as the hyperlink/ url of relevant website, has been uploaded along with the Gazette Notification on Railway Board's 'FM Circulars web page.'

Necessary instructions may be issued to all concerned including the staff for ensuring compliance.

Encl - As above.


(Ashutosh Mishra)
Joint Director/Freight Marketing
Railway Board, New Delhi

/3060709/2023

No. **2022/TC(FM)/01/02**

February 10th, 2023

Copy to:

1. The PCCMs, PCOMs, CCM/FM, All Indian Railways.
2. Director General, RDSO, Lucknow.
3. Director, Indian Railways Institute of Transport Management (IRITM), Lucknow.
4. Director General, National Academy of Indian Railways, Vadodara.
5. The MD/CCM, Konkan Railway Corporation Ltd.
6. Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
7. MD/DFCCIL
8. General Secretary, IRCA, DRM office
State Entry Road, New Delhi

(Ashutosh Mishra)

Joint Director/Freight Marketing
Railway Board, New Delhi

No. **2022/TC(FM)/01/02**

February 10th, 2023

Copy for kind information to:

1. OSD/MR, EDPG/MR, EDPG/MOSR(D) & EDPG/MOSR(J)
2. Chairman & CEO, Member (O&BD), Member (Finance), Member (Infra.), Member (T&RS), DG(RPF), DG(Safety), DG/PR and Secretary Railway Board, New Delhi.
3. AM(Traffic), AM(C), Adv. (Infra), Adv. (Vig.), Adv. (Safety), EDTC(Rates), PEDTT(M), EDTT(S), EDTT(F), ED(Plg.) EDT(PPP), EDV(T), EDF(C&PPP), ED(Safety), ED/SPI, ED/I&P, Adg/PR, OSD/Chairman & CEO, OSD/Member (O&BD) and DTC(R)/ Railway Board, New Delhi.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022023-243515
CG-DL-E-07022023-243515

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66]
No. 66]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 2023/माघ 18, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 2023/MAGHA 18, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2023

सा.का.नि.83(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 87 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल लाल टैरिफनियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल लाल टैरिफ (संशोधन), नियम 2023 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लाल टैरिफनियम, 2000 (जिसे, इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) आरंभिक भाग में "धारा 67 और धारा 87" के स्थान पर "धारा 67 के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (2) के खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों के नियम 2 में, धारा (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
"(कक) "एडीएन" से अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा खतरनाक माल के अंतरराष्ट्रीय वहन (इंटरनेशनल कैरिज ऑफ डेंजरस गुड्स बाई इनलैंड वाटरवेज) से संबंधित यूरोपियन करार अभिप्रेत है;
(कख) "एडीआर" से सड़क मार्ग द्वारा खतरनाक माल के अंतरराष्ट्रीय वहन (इंटरनेशनल कैरिज ऑफ डेंजरस गुड्स बाई रोड) से संबंधित करार अभिप्रेत है, जिसमें परिवहन परिचालन में शामिल देशों द्वारा हस्ताक्षरित सभी विशेष करार शामिल हैं;"

- | क्र.सं. | पदार्थ या वस्तु का नाम | यू.एन.सं. | पैकिंग | चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम | | | | यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम | | असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम | | विशेष उपबंध (आरआई डी के अध्याय 3.3 के अनुसार) | सीमित मात्रा (आरआई डी के अध्याय 3.4 के अनुसार) | अतिरिक्त मात्रा (आरआई डी के अनुसार) |
|---------|------------------------|-----------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|---|--|---|--|-------------------------------------|
| | | | पैकिंग अनुदेश (आरआई डी के 4.1.4 के अनुसार) | विशेष पैकिंग उपबंध (आरआई डी के 4.1.4 के अनुसार) | मिश्रित पैकिंग उपबंध (आरआई डी के 4.1.10 के अनुसार) | लेबल सं. (आरआई डी के 5.2.2 के अनुसार) | जोखिम पहचान सं. (आरआई डी के 5.3.2.3 के अनुसार) | पैकेज में वहन के लिए विशेष उपबंध (आरआई डी के अध्याय 7.2 के अनुसार) | एक्सप्रेस पार्सलों के रूप में वहन के लिए उपबंध (आरआई डी के अध्याय 7.6 के अनुसार) | वहन, ढुलाई, उतराई और समूहलाई के लिए उपबंध (आरआई डी के अध्याय 7.5 के अनुसार) | परिवहन श्रेणी (आरआई डी के 1.1.3.1 (ग) के अनुसार) | | | |

01	लाइटर या ज्वलनशील गैस से युक्त लाइटर रिफिल	1057	पी002	पीपी84 आरआर 5	एमपी9	2.1	23		सीई2	सीडब्ल्यू9	2	201 654 658	0	ई0
02	संपीड़ित या द्रवित गैसों वाले अग्निशामक	1044	पी003	पीपी9 1	एमपी 9	2.2	20		सीई 2	सीडब्ल्यू 9	3	225 594	120 एमएल	ई0

स्पष्टीकरण - सारणी में उल्लिखित सभी कूटों और संख्याओं का अर्थ निरपवाद रूप से कनवेंशन कंसर्निश इंटरनेशनल कैरिज बाइ रेल (कॉटिफ) परिशिष्ट ग - रेल द्वारा खतरनाक वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय वहन संबंधी विनियम से लिया हुआ माना जाएगा।

11. उक्त नियमों के अध्याय III - **पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव** में दी गई सारणी III के पश्चात् निम्नलिखित सारणी III के अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी-IIIक
पेट्रोलियम तथा अन्य ज्वलनशील द्रव

क्र.सं.	पदार्थ या वस्तु का नाम	यू एन सं.	पैकिंग			चिह्नांकन और लेबल लगने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम		यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम		असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम		विशेष उपबंध (आरआई डी के अध्याय 3.3 के अनुसार)	सीमित मात्रा (आरआई डी के अध्याय 3.4 के अनुसार)	अतिरिक्त मात्रा (आरआई डी के अध्याय 3.5.1.2 के अनुसार)
			पैकिंग अनुदेश (आरआईडी के 4.1.4 के अनुसार)	विशेष पैकिंग उपबंध (आरआई डी के 4.1.4 के अनुसार)	मिश्रित पैकिंग उपबंध (आरआई डी के 4.1.10 के अनुसार)	लेबल सं. (आरआई डी के 5.2.2 के अनुसार)	जोखिम पहचान सं. (आरआई डी के 5.3.2.3 के अनुसार)	पैकेज में वहन के लिए विशेष उपबंध (आरआई डी के अध्याय 7.2 के अनुसार)	एक्सप्रेस पार्सलों के रूप में वहन के लिए उपबंध (आरआई डी के अध्याय 7.6 के अनुसार)	वहन, टुलाई, उतराई और सम्वहलाई के लिए उपबंध (आरआई डी के अध्याय 7.5 के अनुसार)	परिवहन श्रेणी (आरआई डी के 1.1.3.1 (ग) के अनुसार)			
1	ज्वलनशील विलायकों के साथ गंध-द्रव्य उत्पाद (110 केपीए से अधिक 50° से. पर वाष्प दबाव)	1266	पी001		एमपी19	3	33			सीई7	2	163 640मी	5 एल	ई2
2	ज्वलनशील विलायकों के साथ गंध-द्रव्य	1266	पी 001 आईवीसी 02 आर001		एमपी 19	3	33		एमपी 7		2	163 640डी	5 एल	ई2

	उत्पाद (110 केपीए से अनधिक 50° से. पर वाष्प दबाव)													
3	ज्वलनशील विलायकों के साथ गंध-द्रव्य उत्पाद	1266	पी001 आईवीसी 03 एलपी01 आर001		एमपी 19	3	30		डब्ल्यू12	सीई4	3	163	5 एल	ई1
4	ज्वलनशील विलायकों के साथ गंध-द्रव्य उत्पाद (जिनका ज्वलांक 23°से. से कम हो और 2.2.3.1.4 के अनुसार गाढ़ा) (110 केपीए से अधिक 50° से. पर वाष्प दबाव)	1266	पी001 आर001		एमपी 19	3	33			सीई 4	3	163	5 एल	ई1
5.	ज्वलनशील विलायकों के साथ गंध-द्रव्य उत्पाद (जिनका ज्वलांक 23°से. से कम हो और 2.2.3.1. 4 के अनुसार गाढ़ा) (110 केपीए से अधिक 50° से. पर वाष्प दबाव)	1266	पी001 आईवीसी 02 आर001	बीबी4	एमपी 19	3	33		सीई 4		3	163	5 एल	ई1

6.	ज्वलनशील द्रव से युक्त आसंजक	1133	पी001		एमपी 7 एमपी 17	3	33				1		500 एमएल	ई3
----	------------------------------	------	-------	--	-------------------	---	----	--	--	--	---	--	-------------	----

स्पष्टीकरण - सारणी में उल्लिखित सभी कूटों और संख्याओं का अर्थ निरपवाद रूप से कनवेंशन कंसर्निंग इंटरनेशनल कैरिज बाइ रेल (कॉटिफ) परिशिष्ट ग - रेल द्वारा खतरनाक वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय वहन संबंधी विनियम से लिया हुआ माना जाएगा।

12. उक्त नियमों के अध्याय IV - **ज्वलनशील ठोस** में दी गई सारणी IV के पश्चात् निम्नलिखित सारणी IVक अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी-IVक
ज्वलनशील ठोस

क्र.सं.	पदार्थ या वस्तु का नाम	यू.एन. सं.	पैकिंग			चिह्नांकन और लेबल लगाने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम		यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम		असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम		विशेष उपबंध (आरआई डी के अध्याय 3.3 के अनुरूप)	सीमित मात्रा (आरआई डी के अध्याय 3.4 के अनुसार)	अतिरिक्त मात्रा (आरआई डी के अध्याय 3.5.1.2 के अनुसार)
			पैकिंग अनुदेश (आरआई डी के 4.1.4 के अनुसार)	विशेष पैकिंग उपबंध (आरआई डी के 4.1.4 के अनुसार)	मिश्रित पैकिंग उपबंध (आरआई डी के 4.1.10 के अनुसार)	लेबल सं. (आरआई डी के 5.2.2 के अनुसार)	खतरा पहचान सं. (आरआई डी के 5.3.2.3 के अनुसार)	पैकेज में वहन के लिए विशेष उपबंध (आरआई डी के अध्याय 7.2 के अनुसार)	एक्सप्रेस पार्सलों के रूप में वहन के लिए उपबंध (आरआई डी के अध्याय 7.6 के अनुसार)	वहन, डुलाई, उतराई और सम्वहलाई के लिए उपबंध (आरआई डी के अध्याय 7.5 के अनुसार)	परिवहन श्रेणी (आरआई डी के 1.1.3.1 (ग) के अनुसार)			
1	नेफ्रथली, अपक्र अथवा नेफ्रथली, परिष्कृत	1334	पी002 आईबीसी 08 एलपी02 आर001	बी3	एमपी10	4.1	40	डब्ल्यू1	सीई11		3	501	5 कि.ग्रा.	ई1
2	कपूर, कृत्रिम	2717	पी002 आईबीसी 08 एलपी02 आर001	बी3	एमपी10	4.1	40	डब्ल्यू1	सीई11		3		5 कि.ग्रा.	ई1

स्पष्टीकरण - सारणी में उल्लिखित सभी कूटों और संख्याओं का अर्थ निरपवाद रूप से कनवेंशन कंसर्निंग इंटरनेशनल कैरिज बाइ रेल (कॉटिफ) परिशिष्ट ग - रेल द्वारा खतरनाक वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय वहन संबंधी विनियम से लिया हुआ माना जाएगा।

13. उक्त नियमों के अध्याय VI - **विषैले (टॉक्सिक) पदार्थ** में दी गई सारणी VI के पश्चात् निम्नलिखित सारणी VIक अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी VIक
विपैले (टॉक्सिक) पदार्थ

क्र.सं.	पदार्थ या वस्तु का नाम	यू एन सं.	पैकिंग			चिह्नांकन और लेबल लगने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम		यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम		असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम		विशेष उपबंध (आरआईडी के अध्याय 3.3 के अनुसार)	सीमित मात्रा (आरआईडी के अध्याय 3.4 के अनुसार)	अतिरिक्त मात्रा (आरआईडी के अनुसार)
			पैकिंग अनुदेश (आरआईडी के 4.1.4 के अनुसार)	विशेष पैकिंग उपबंध (आरआईडी के 4.1.4 के अनुसार)	मिश्रित पैकिंग उपबंध (आरआईडी के 4.1.10 के अनुसार)	लेबल सं. (आरआईडी के 5.2.2 के अनुसार)	खतरा पहचान सं. (आरआईडी के 5.3.2.3 के अनुसार)	पैकेज में वहन के लिए विशेष उपबंध (आरआईडी के अध्याय 7.2 के अनुसार)	एक्सप्रेस पार्सलों के रूप में वहन के लिए उपबंध (आरआईडी के अध्याय 7.6 के अनुसार)	वहन, दुलाई, उतराई और सम्हलाई के लिए उपबंध (आरआईडी के अध्याय 7.5 के अनुसार)	परिवहन श्रेणी *6 (आरआईडी के 1.1.3.1 (ग) के अनुसार)			
1	कीटाणुनाशक, द्रव्य, विपैले, एन.ओ. एस	3142	पी001		एमपी8 एमपी1 7	6.1	66			सीडब्ल्यू 1 3 सीडब्ल्यू 28 सीडब्ल्यू 31	1	274	0	ई5

स्पष्टीकरण - सारणी में उल्लिखित सभी कूटों और संख्याओं का अर्थ निरपवाद रूप से कनवेंशन कंसर्निंग इंटरनेशनल कैरिज बाइ रेल (कॉटिफ) परिशिष्ट ग - रेल द्वारा खतरनाक वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय वहन संबंधी विनियम से लिया हुआ माना जाएगा।

14. उक्त नियमों के अध्याय VIII- **तेजाब तथा अन्य संक्षारक** में दी गई सारणी VIII के पश्चात् निम्नलिखित सारणी VIIIक अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी VIIIक
तेजाब तथा अन्य संक्षारक

क्र.सं.	पदार्थ या वस्तु का नाम	यू एन सं.	पैकिंग			चिह्नांकन और लेबल लगने की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम		यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेकयान में वहन की बाबत विशेष या अतिरिक्त नियम		असाधारण या अतिरिक्त भराई और वहन नियम		विशेष उपबंध (आरआईडी के अध्याय 3.3 के अनुसार)	सीमित मात्रा (आरआईडी के अध्याय 3.4 के अनुसार)	अतिरिक्त मात्रा (आरआईडी के अनुसार)
			पैकिंग अनुदेश (आरआईडी के 4.1.4 के अनुसार)	विशेष पैकिंग उपबंध (आरआईडी के 4.1.4 के अनुसार)	मिश्रित पैकिंग उपबंध (आरआईडी के 4.1.10 के अनुसार)	लेबल सं. (आरआईडी के 5.2.2 के अनुसार)	खतरा पहचान सं. (आरआईडी के 5.3.2.3 के अनुसार)	पैकेज में वहन के लिए विशेष उपबंध (आरआईडी के अध्याय 7.2 के अनुसार)	एक्सप्रेस पार्सलों के रूप में वहन के लिए उपबंध (आरआईडी के अध्याय 7.6 के अनुसार)	वहन, दुलाई, उतराई और सम्हलाई के लिए उपबंध (आरआईडी के अध्याय 7.5 के अनुसार)	परिवहन श्रेणी *6 (आरआईडी के 1.1.3.1 (ग) के अनुसार)			

1	कीटाणुनाशक, द्रव्य, संश्लारक, एन.ओ.एम	1903	पी001		एमपी8 एमपी 17	8	88				1	274	0	₹0
---	---	------	-------	--	---------------------	---	----	--	--	--	---	-----	---	----

स्पष्टीकरण - सारणी में उल्लिखित सभी कूटों और संख्याओं का अर्थ निरपवाद रूप से कनवेंशन कंसर्निंग इंटरनेशनल कैरिज वाइ रेल (कॉटिफ) परिशिष्ट ग - रेल द्वारा खतरनाक वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय वहन संबंधी विनियम से लिया हुआ माना जाएगा।

15. उक्त नियमों के अध्याय VIII के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

अध्याय 9 : विविध खतरनाक पदार्थ तथा वस्तुएं

रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) के अधीन खतरनाक माल

901. सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थ तथा वस्तुओं को रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) के अधीन खतरनाक समझा जाएगा।

विविध खतरनाक पदार्थों तथा वस्तुओं के वहन के बारे में साधारण निर्बंधन।

902.1. विविध खतरनाक पदार्थों तथा वस्तुओं को केवल अधिकथित नियमों के अधीन स्वीकार करना - रेल प्रशासन केवल सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों तथा वस्तुओं को रेल से वहन के लिए इस अध्याय में उपवर्णित नियमों के अधीन और शर्तों के अनुसार ग्रहण करेगा।

902.2. वहन करने से इंकार करने का रेल का अधिकार - इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रेल प्रशासन यह अधिसूचित करेगा कि सारणी IX में विनिर्दिष्ट किसी विशिष्ट वस्तुओं को जनसाधारण के लिए रेल से वहन नहीं किया जाएगा और ऐसी सूचना जारी किए जाने के पश्चात् ऐसी किसी भी वस्तु को उक्त प्रशासन द्वारा ऐसे सेक्शन या स्टेशनों पर, जिनकी बावत ऐसी अधिसूचना जारी की गई है, वहन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा।

प्रेषक द्वारा प्रेषण की सूचना देना

903.1. प्रेषण की सूचना का अनिवार्य होना - रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किन्हीं अपवादों के अधीन रहते हुए सारणी IX में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का कोई भी परेषण तब तक प्रेषण के लिए किसी रेल को नहीं भेजा जाएगा या रेल से वहन के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे परेषण को भेजने के आशय की पूर्व सूचना, नियम 903.2 में विहित रूप में नहीं दे दी जाती और जब तक कि उस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी, जिससे परेषण को भेजने का प्रस्ताव है, लिखित में यह सूचित कर देना कि परेषण को ग्रहण किया जा सकता है।

903.2. सूचना में दी जाने वाली विशिष्टियां - नियम 903.1 के अधीन अपेक्षित सूचना उस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को संबोधित होगी जिससे माल भेजने का प्रस्ताव है और ऐसी सूचना परेषण को स्टेशन पर लाने के कम से कम 48 घंटे पूर्व भेजी जाएगी, सिवाय तब जब संबंधित रेल प्रशासन द्वारा कोई लघुत्तर अवधि विहित की गई हो और उस सूचना में निम्नलिखित विशिष्टियों का विवरण दिया जाएगा, अर्थात्:-

- परेषण में वस्तुओं का सही नाम, विवरण और मात्रा;
- प्रेषक का नाम और पता;
- परेषिती का नाम और पता;
- यह घोषणा कि वस्तुओं को लाल टैरिफ में अधिकथित नियमों, अर्थात् के अनुसार पैक और चिह्नांकित किया 906 और 905 गया है।

टिप्पणी-

- सभी दृष्टि से पूर्ण अग्रेषण पत्र, जो परेषण को बुकिंग के लिए प्रस्तुत करने की तारीख से हले दिया गया होघंटे प 48, इन नियमों के अधीन समुचित सूचना समझी जाएगी।
- जब रेल स्टेशन या शेड का प्रभारी अधिकारी माल स्वीकार करने की स्थिति में हो तब वह इसकी सूचना युक्तियुक्त रीति से परेषक को देगा और ऐसी सूचना इस नियम के अधीन उचित सूचना समझी जाएगी।

रेल कर्मचारिवृंद द्वारा प्रमाण-पत्र, अग्रेषण पत्र, आदि अभिप्राप्त करना

904. सारणी IX में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के प्रत्येक परेषण की दशा में रेल कर्मचारिवृंद पर परेषक से सभी दृष्टि से पूर्ण एक अग्रेषण पत्र विशेष रूप से विहित प्ररूप (लाल टैरिफ नियम, 2000 के अनुलग्नक - क) में अभिप्राप्त करने की बाध्यता होगी।

पैकिंग

905. सारणी IX में विनिर्दिष्ट खतरनाक पदार्थों तथा वस्तुओं का परिवहन केवल तब किया जाना है जब वे सारणी IX के पैकिंग कॉलम में दिए गए विहित रीति से पैक किए गए हों।

पैकेजों का चिह्नांकन और उन पर लेबल लगाना

906. सारणी IX में विनिर्दिष्ट खतरनाक पदार्थों तथा वस्तुओं का परिवहन केवल तब किया जाना है जब वे सारणी IX के चिह्नांकन और उन पर लेबल लगाने की विहित रीति से पैक किए गए हों।

रेल द्वारा चिह्नांकन

907. सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों तथा वस्तुओं से युक्त प्रत्येक पैकेज को ऐसे रेल चिह्नों से समुचित रूप से चिह्नांकित किया जाएगा जिनमें अग्रेषक और गंतव्य स्टेशनों के संकेताक्षर, बीजक या मार्गपत्रक का संख्यांक तथा परेषण में सम्मिलित पैकेजों की संख्या दर्शाई गई हो।

रेल कर्मचारिवृंद का उत्तरदायित्व

908. सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों तथा वस्तुओं के परेषण को रेल द्वारा परिवहन के लिए ग्रहण करते समय रेल कर्मचारिवृंद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि—

- (i) किसी एक पैकेज में वस्तुओं का घोषित भार जैसा कि पैकेजों पर दिए गए चिह्नांकनों या वजन से अभिनिश्चित किया गया है, सारणी IX के कॉलम में अधिकथित सीमा, यदि कोई है, से अधिक नहीं है; और
- (ii) सबसे बाहर का पैकेज इन नियमों के अनुसार है।

भंडारण

909. (क) स्टेशन के प्रत्येक भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों तथा वस्तुओं से ऐसे प्रत्येक पैकेज को, जिसका रेल से प्रेषण प्रस्थापित है या जो यानांतरण के लिए या परेषिती को परिदत्त किए जाने के लिए किसी स्टेशन पर ग्रहण किया जाता है, ऐसे शेड में भंडारण किया जाए जो पूरी तरह से हवादार शेड है अथवा एक खुले शेड में अर्थात् जिसके ऊपर मौसम के बचाव के लिए छत है किंतु जो चारों तरफ दीवारों से नहीं घिरा है।

(ख) जहां भी ऐसी भंडारण सुविधा उपलब्ध न हो, वहां, सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों और वस्तुओं से युक्त पैकेजों को ढकी हुई लौह बैगन में भंडारित किया जा सकता है और यदि यह भी संभव न हो तो इन्हें किसी खुले स्थान में पूरी तरह से तिरपाल या अन्य उपयुक्त सामग्री से ढक कर रखा जा सकता है।

(ग) सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों और वस्तुओं का भंडारण करते समय नियम 910 में अधिकथित सावधानियों का पालन किया जाएगा।

सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों और वस्तुओं की सम्वहलाई और भंडारण करते समय अनुपालन की जाने वाली

पूर्वावधानियां

910.1. लदान और उतराई का समय.— सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों और वस्तुओं की लदाई, उतराई और सम्वहलाई से संबंधित सभी कार्य पर्याप्त रोशनी में किए जाने चाहिए।

910.2. पैकेजों की सम्वहलाई — (1) सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों और वस्तुओं से युक्त पैकेज या जमीन या फर्श पर फैके, गिराए, घसीटे नहीं जाएंगे और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वे किसी कठोर वस्तु से न टकराएं।

(2) जब भारी ड्रमों या कास्कों के लदान और उतराई के समय उपयुक्त प्रकार के कुशन, मोटी जूट की चटाइयां, फेल्ड, बुरादे से भरे थैले या इसी प्रकार के संरक्षणों को, ड्रमों या कास्कों को क्षति से और रिसने से बचाने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए।

(3) जहां साध्य हो, सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों और वस्तुओं वाले पैकेजों को ट्रॉलियों या ठेलों से ले जाया या पहुँचाया जाएगा।

910.3. खतरनाक पदार्थों के साथ भंडारण और सम्वहलाई का प्रतिषेध.— सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों और वस्तुओं का भंडारण या सम्वहलाई विस्फोटकों, अन्य खतरनाक माल या ज्वलनशील प्रकृति की वस्तुओं या ऐसे खाली पात्रों, जिनमें पैट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील द्रव रखे गए हों, के साथ या उनके निकट नहीं रखा जाएगा।

910.4. खाद्य पदार्थों के साथ भंडारण और सम्वहलाई का प्रतिषेध.— सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों और वस्तुओं का भंडारण या सम्वहलाई खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों के खाली पात्रों के साथ या निकट नहीं की जाएगी।

910.5. धूप, वर्षा और बर्फ से संरक्षण.— सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थ और वस्तुओं से युक्त पैकेजों को धूप, वर्षा या बर्फ में खुला नहीं रखा जाएगा और न उन्हें गीले मैदान में रखा जाएगा और जहां-कहीं आवश्यक हो, तिरपालों या अन्य उपयुक्त सामग्री से उनका बचाव किया जाएगा।

सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों और वस्तुओं का यात्री गाड़ियों, यात्री-सह-माल गाड़ियों के ब्रेक-यान या पार्सल गाड़ियों में वहन

911. सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों और वस्तुओं को यात्री गाड़ियों, मिश्रित गाड़ियों या पार्सल गाड़ियों के पीछे लगे ब्रेक-यान में केवल तभी वहन किया जाएगा, जब -

1. सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थ और वस्तुएं अन्य माल के साथ ले जाई जाती हैं तो उन्हें ब्रेक-यानों में अन्य माल से अच्छी तरह से अलग रखा जाए।
2. सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थ और वस्तुएं अन्य माल के साथ ले जाई जाती हैं तो उन्हें ब्रेक-यान में अन्य पैकेजों से जहां तक संभव हो दूर रखा जाए और गाड़ी की टेल लाइट से दूर रखा जाए।
3. किसी एक समय पर किसी भी गाड़ी के ब्रेक-यान में सभी पेट्रोलियम या अन्य ज्वलनशील द्रव्यों की कुल मात्रा 50 लीटर से अधिक नहीं होगी।

पहुँच की सूचना

912. परेषण के पहुँचने की परेषिती को सूचना - परेषक यह सुनिश्चित करेगा कि सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थ और वस्तुओं के परेषणों के पहुँचने की सूचना सभी परेषणों के लिए परेषिती को दी जाती है ताकि इन्हें रेल परिसर से तत्काल हटाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

परिदान या अन्यथा व्ययन

913.1. परिदान.- सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों और वस्तुओं को परेषिती द्वारा उस रेल स्टेशन या रेल डिपो से, जहां के लिए उनका परिवहन किया गया है, जैसे ही वे परिदत्त करने के लिए उपलब्ध हों, हटाया जाएगा।

913.2. परिदान तुरंत न लेने की दशा में व्ययन.-

- (1) यदि परेषण उन्हें हटाने के लिए अनुज्ञात छूट समय की समाप्ति के पश्चात् भी रखे रहते हैं तो, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 84 में जैसा विहित है तो विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में परेषिती पर एक सूचना तामील की जाएगी।
- (2) सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात् भी परेषण पर अभी भी कोई दावा नहीं किया गया है, तो रेल अधिनियम, 1989 की धारा 83 और 84 के उपबंधों के अनुसार इनकी बिक्री की जाएगी/निपटान किया जाएगा।

दुर्घटनाओं की रिपोर्ट

914. (1) सारणी IX में विनिर्दिष्ट विविध खतरनाक पदार्थों और वस्तुओं के संबंध में जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसमें जीवन की हानि या व्यक्तियों को कोई गंभीर नुकसान होता है क्षति या संपत्ति को गंभीर नुकसान होता है अथवा ऐसी कोई घटना घटती है, जिसमें प्रायः ऐसी हानि, क्षति या नुकसान होता है तो परेषण का तत्समय भारसाधक व्यक्ति निम्नलिखित को सूचित करेगा: -

(क) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर को नीचे दिए गए पते के अनुसार संचार के उपलब्ध माध्यमों अर्थात् टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल आदि के माध्यम से घटना की विशिष्टियां दी जाएंगी:-

पता:- ए-ब्लॉक, 5वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, सेमिनेरी हिल्स, नागपुर-440006 (महाराष्ट्र)

टेली नं.:- 071-22510248 ई-मेल:- explosives@explosives.gov.in

(ख) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक जिसके क्षेत्राधिकार में यह दुर्घटना हुई है; निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को संचार के त्वरित माध्यम से; और

(ग) संबंधित विभागीय अधिकारी।

(घ) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ)

(2) मुख्य नियंत्रक या उसके प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किए जाने तक अथवा इससे या उसके प्रतिनिधि से अनुदेश प्राप्त होने तक कि वह और कोई अन्वेषण या जांच नहीं कराना चाहता, सभी कचरे और मलबे को तब तक नहीं छुआ जाएगा जब तक कि घायल व्यक्तियों के बचाव के लिए और दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों को निकालने के लिए या संचार को पुनः स्थापित करने के लिए हटाया जाना आवश्यक न हो।

सारणी IX
विविध खतरनाक पदार्थ और वस्तुएं

क्र.सं.	पदार्थ या वस्तु का नाम	यू.एन. नं.	पैकिंग			चिह्नांकन और लेबल की वावत असाधारण या अतिरिक्त नियम		यात्री गाड़ी, मिश्रित गाड़ी या पार्सल गाड़ी के ब्रेक-यान में वहन की वावत असाधारण नियम		असाधारण या अतिरिक्त भर्गई और वहन नियम		विशेष उपबंध	सीमित मात्रा (आरआईडी के अध्याय 3.4 के अनुसार)	अतिरिक्त मात्रा (आरआईडी के 3.5.1.2 के अनुसार)
			पैकिंग अनुदेश (आरआईडी के पैरा 4.1.4 के अनुसार)	विशेष पैकिंग अनुदेश (आरआईडी के पैरा 4.1.4 के अनुसार)	मिश्रित पैकिंग उपबंध (पैरा 4.1.10 के अनुसार)	लेबल नं. (आरआईडी के 5.2.2 के अनुसार)	जोखिम पहचान नं. (आरआईडी के 5.3.2.3 के अनुसार)	पैकेज में वहन के लिए विशेष उपबंध (आरआईडी के अध्याय 7.2 के अनुसार)	एक्सप्रेस पार्सल के रूप में वहन के लिए उपबंध (आरआईडी के अध्याय 7.6 के अनुसार)	वहन, लदान, उतराई और परिवहन के लिए विशेष उपबंध (आरआईडी के अध्याय 7.5 के अनुसार)	(आरआईडी के अध्याय 3.3 के अनुसार)			
01	पोलीमैरिक बीड्स, एक्सपेंडेबल, इवोल्विंग ज्वलनशील वाष्प	2211	पी002 आईबीसी 08 आर 001	पीपी 14 बी3 बी6	एमपी 10	कुछ नहीं	90		सीई 11	सीडब्ल्यू 31 सीडब्ल्यू 36	3	382 633 675	5 कि.ग्रा.	ई1
02	लीथियम धातु बैटरियां (लीथियम अलोय बैटरियों सहित)	3090	पी 903 पी 908 पी 909 पी 910 पी 911 एलपी 903 एलपी 904 एलपी 905 एलपी 906			9 ए	90		सीई 2		2	188 230 310 376 377 387 636	0	ई0
03	लीथियम मेटल बैटरी से युक्त उपस्कर (लीथियम अलोय बैटरियों सहित)	3091	पी 903 पी 908 पी 909 पी 910 पी 911 एलपी 903 एलपी 904 एलपी 905 एलपी 906			9 ए	90		सीई 2		2	188 230 310 360 376 377 387 390 670	0	ई0
04	उपस्कर के साथ पैक की गई लीथियम मेटल बैटरी	3091	पी903 पी908 पी909 पी910			9 ए	90		सीई 2		2	188 230 310 360	0	ई0

	(लीथियम अलौय बैटरियों सहित)		पी911 एनपी903 एनपी904 एनपी905 एनपी906								376 377 387 390 670		
05	लीथियम-आयन बैटरी (लीथियम- आयन पॉलीमर बैटरियों सहित)	3480	पी903 पी908 पी909 पी910 पी911 एनपी 903 एनपी 904 एनपी 905 एनपी 906			9 ए	90		सीई 2	2	188 230 310 348 376 377 387 636	0	ई0
06	लीथियम-आयन बैटरियों से युक्त उपस्कर (लीथियम- आयन पॉलीमर बैटरियों सहित)	3481	पी903 पी908 पी909 पी910 पी911 एनपी 903 एनपी 904 एनपी 905 एनपी 906			9 ए	90		सीई 2	2	188 230 310 348 360 376 377 387 390 670	0	ई0
07	उपस्करों के साथ पैक की गई लीथियम-आयन बैटरियां (लीथियम- आयन पॉलीमर बैटरियों सहित)	3481	पी903 पी908 पी909 पी910 पी911 एनपी 903 एनपी 904 एनपी 905 एनपी 906			9 ए	90		सीई 2	2	188 230 310 348 360 376 377 387 390 670	0	ई0
08	कागों परिवहन डकई में लगाई गई लीथियम- आयन बैटरियां या लीथियम मेटल बैटरियां	3536				9	90			-	389	0	ई0
09	जीवन-रक्षक उपकरण, स्वयं हवा भरने योग्य सामान जैसे कि विमान निकासी पैराशूट, विमान	2990	पी905			9	90		सीई 2	3	296 635	0	ई0

सर्वाइवल किट और समुद्री जीवन-रक्षक उपकरण													
10 स्वयं हवा न भरने योग्य जीवन-रक्षक उपकरण जिनमें उपस्कर के रूप में खतरनाक माल हो	3072	पी905			9	90		सीई 2		3	296 635	0	ई0
11 संरक्षा यंत्र (विद्युत चालित)	3268	पी902 एलपी 902			9	90		सीई 2		4	280 289	0	ई0
12 बैन्जलडिहाइड	1990	पी001 आईवीसी03 एलपी 01 आर001		एमपी 15	9	90	डब्ल्यू 12	सीई 8	सीडब्ल्यू 31	3		5 एल	ई1
13 अमोनियम नाइट्रेट आधारित उर्वरक	2071										193		
14 अरंडी बीज	2969	पी002 आईवीसी 08	पीपी 34 बी 4	एमपी 10	9	90	डब्ल्यू 11	सीई 9	सीडब्ल्यू 31	2	141	5 किग्रा.	ई2
15 अरंडी भोजन	2969	पी002 आईवीसी08	पीपी 34 बी 4	एमपी 10	9	90	डब्ल्यू 11	सीई 9	सीडब्ल्यू 31	2	141	5 किग्रा.	ई2
16 अरंडी खली	2969	पी002 आईवीसी 08	पीपी 34 बी 4	एमपी 10	9	90	डब्ल्यू 11	सीई 9	सीडब्ल्यू 31	2	141	5 किग्रा.	ई2
17 अरंडी फ्लैक्स	2969	पी002 आईवीसी 08	पीपी 34 बी 4	एमपी 10	9	90	डब्ल्यू 11	सीई 9	सीडब्ल्यू 31	2	141	5 किग्रा.	ई2
18 ज्वलनशील गैस शक्ति चालित वाहन	3166										388 666 667 669		
19 ज्वलनशील द्रव्य चालित वाहन	3166										388 666 667 669		
20 ज्वलनशील गैस चालित वाहन,											388 666		

	ईंधन मेल	3166									667		
											669		
21	ज्वलनशील द्रव्य चालित वाहन, ईंधन मेल	3166									388		
											666		
											667		
											669		
22	बैटरी चालित वाहन	3171									388		
											666		
											667		
											669		
23	बैटरी चालित उपकरण	3171									388		
											666		
											667		
											669		
24	प्राथमिक चिकित्सा किट	3316	पी901			9	90			एसईई एसपी 671	251 340 671	एसईई एसपी 251	एसईई एसपी 340

स्पष्टीकरण - सारणी में उल्लिखित सभी कूटों और संख्याओं का अर्थ निरपवाद रूप से कनवेंशन कंसर्निंग इंटरनेशनल कैरिज बाइ रेल (कॉटिफ) परिशिष्ट ग - रेल द्वारा खतरनाक वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय वहन संबंधी विनियम से लिया हुआ माना जाएगा।

[फा. सं. 2022/टीसी(एफएम)/01/02]

मुदित चंद्र, कार्यपालक निदेशक, मालभाड़ा विपणन

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 266, तारीख 15 जुलाई, 2000 के तहत प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार सा.का.नि. 744 (अ) तारीख 29 सितम्बर 2022 की अधिसूचना के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2023

G.S.R. 83(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (2) of section 87 and section 67 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following further to amend the Railways Red Tariff Rules, 2000, namely:-

1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Railways Red Tariff (Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Red Tariff Rules, 2000 (hereinafter referred to as the said rules), in opening portion, for the words, brackets, letter and figures “section 67 and section 87”, the words and figures “clause (b) of sub-section (2) of section 87 read with section 67” shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 2, after clause (a), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(aa) “ADN” means the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways;

(ab) “ADR” means the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, including all special agreements signed by those states involved in the transport operation.”

4. In the said rules, in rule 2, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

“(da) “COTIF” means the Convention concerning International Carriage by Rail.”

5. In the said rules, in rule 2, after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(fa) “IBC” means intermediate bulk containers;

“(fb) “ICAO” means the International Civil Aviation Organisation;

“(fc) “IMDG” means the International Maritime Dangerous Goods Code, for the implementation of Chapter VII, Part A, of the

International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS Convention), published by the International Maritime

Organization.”

6. In the said rules, in rule 2, after clause (o), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(oa) “Red Tariff ” means Red Tariff Number 20 published by the Central Government vide number GSR 266, dated 15th July 2000;

“(ob) “RFID” means Radio Frequency Identification;

“(oc) “RID” means Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail given in Appendix-C of COTIF.”

7. In the said rules, in rule 2, after clause (q), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(qa) “Table” means Tables annexed to these rules.”

8. In the said rules, in rule 2, after clause (r), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ra) “UN Number” means the four-figure identification number of the substance or article taken from the United Nation Model

Regulations.”

9. In the said rules, in rule 3, sub-rule (1) after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ix) Miscellaneous dangerous substances and articles”

10. In the said rules, in Chapter II, under heading GASES, COMPRESSED, LIQUEFIED OR DISSOLVED UNDER PRESSURE, after Table II, the Table IIA shall be inserted, namely:-

**“TABLE – IIA
GASES, COMPRESSED, LIQUEFIED OR DISSOLVED UNDER PRESSURE**

S.Number	Name of the substance or article	UN Number	Packing					Exceptional or Additional rules regarding Marking and Labeling		Exceptional Rules regarding carriage in brake-van of Passenger, Mixed or Parcels Train		Exceptional or Additional Stowage and Carriage Rules		Special provisions (as per chapter 3.3 of RID)	Limited quantity (as per Chapter 3.4 of RID)	Excepted Quantity (as per 3.5.1.2 of RID)
			Packing instructions (as per 4.1.4 of RID)	Special packing provisions (as per 4.1.4 of RID)	Mixed packing provisions (as per 4.1.10 of RID)	Label Number (as per 5.2.2 of RID)	Hazard Identification Number (as per 5.3.2.3 of RID)	Special provisions for carriage in Package (as per Chapter 7.2 of RID)	Provisions for carriage as express parcels (as per Chapter 7.6 of RID)	Special provisions for carriage Load ing, unloading and handling (as per Chapter 7.5 of RID)	Transport category (as per 1.1.3.1 (c) of RID)					
01	LIGHTERS or LIGHTER REFILLS containing flammable gas	1057	P002	PP84 RR5	MP9	2.1	23		CE2	CW9	2	201 654 658	0	E0		

02	FIRE EXTINGUISHERS with compressed or liquefied gas	1044	P003	PP91	MP9	2.2	20		CE 2	CW9	3	225 594	120 ML	E0
----	---	------	------	------	-----	-----	----	--	------	-----	---	---------	--------	----

Explanation - All codes and numbers mentioned in the Table shall invariably mean to be taken from Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) Appendix C – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail.”

11. In the said rules in Chapter III under heading **PETROLEUM AND OTHER INFLAMMABLE LIQUIDS**, after Table III, the following Table IIIA shall be inserted, namely:-

“TABLE IIIA
PETROLEUM AND OTHER INFLAMMABLE LIQUIDS

S.Number	Name of the substance or article	UN Number	Packing			Exceptional or Additional rules regarding Marking and Labeling		Exceptional Rules regarding carriage in brake-van of Passenger, Mixed or Parcels Train		Exceptional or Additional Stowage and Carriage Rules		Special provision (as per chapter 3.3 of RID)	Limited quantity (as per Chapter 3.4 of RID)	Excepted Quantity (as per 3.5.1.2 of RID)
			Packing instructions (as per 4.1.4 of RID)	Special packing provisions (as per 4.1.4 of RID)	Mixed packing provisions (as per 4.1.10 of RID)	Label Number (as per 5.2.2 of RID)	Hazard Identification Number (as per 5.3.2.3 of RID)	Special provisions for carriage in Package (as per Chapter 7.2 of RID)	Provisions for carriage as express parcels (as per Chapter 7.6 of RID)	Special provisions for carriage Loading, unloading and handling (as per Chapter 7.5 of RID)	Transport category (as per 1.1.3.1 (c) of RID)			
1	PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents (vapour pressure at 50 °C more than 110 kPa)	1266	P001		MP19	3	33		CE7		2	163 640C	5 L	E2
2	PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)	1266	P001 IBC02 R001		MP19	3	33		CE7		2	163 640D	5 L	E2
3	PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents	1266	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	3	30	W12	CE4		3	163	5 L	E1
4	PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C more than 110kPa)	1266	P001 R001		MP19	3	33		CE4		3	163	5 L	E1

5.	PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents (having a flash-point below 23 °C and viscous according to 2.2.3.1.4) (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)	1266	P001 IBC02 R001	BB4	MP19	3	33		CE4	3	163	5 L	E1
6.	ADHESIVES containing flammable liquid	1133	P001		MP7 MP17	3	33			1		500 ml	E3

Explanation - All codes and numbers mentioned in the Table shall invariably mean to be taken from Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) Appendix C – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail.”

12. In the said rules, in Chapter IV, under heading - **INFLAMMABLE SOLIDS**, after Table IV, the Table IVA shall be inserted, namely :-

**“TABLE IVA
INFLAMMABLE SOLIDS**

S.Number	Name of the substance or article	UN Number	Packing			Exceptional or Additional rules regarding Marking and Labeling		Exceptional Rules regarding carriage in brake-van of Passenger, Mixed or Parcels Train		Exceptional or Additional Stowage and Carriage Rules		Special provisions	Limited quantity	Excepted Quantity
			Packing instructions (as per 4.1.4 of RID)	Special packing provisions (as per 4.1.4 of RID)	Mixed packing provisions (as per 4.1.10 of RID)	Label Number (as per 5.2.2 of RID)	Hazard Identification Number (as per 5.3.2.3 of RID)	Special provisions for carriage in Package (as per Chapter 7.2 of RID)	Provisions for carriage as express parcels (as per Chapter 7.6 of RID)	Special provisions for carriage Loading, unloading and handling (as per Chapter 7.5 of RID)	Transport category (as per 1.1.3.1 (c) of RID)	(as per chapter 3.3 of RID)	(as per Chapter 3.4 of RID)	(as per 3.5.1.2 of RID)
1	NAPHTHALENE, CRUDE or NAPHTHALENE, REFINED	1334	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	4.1	40	W1	CE11		3	501	5 kg	E1
2	CAMPBOR, synthetic	2717	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	4.1	40	W1	CE11		3		5 kg	E1

Explanation - All codes and numbers mentioned in the Table shall invariably mean to be taken from Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) Appendix C – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail.”

13. In the said rules, in Chapter VI, under heading - **POISONOUS (TOXIC) SUBSTANCES**, after Table VI, the following Table VIA shall be inserted, namely:-

**“TABLE VIA
POISONOUS (TOXIC) SUBSTANCES**

S.Number	Name of the substance or article	UN Number	Packing			Exceptional or Additional rules regarding Marking and Labeling		Exceptional Rules regarding carriage in brake-van of Passenger, Mixed or Parcels Train		Exceptional or Additional Stowage and Carriage Rules		Special provisions	Limited quantity	Excepted Quantity
			Packing instructions (as per 4.1.4 of RID)	Special packing provisions (as per 4.1.4 of RID)	Mixed packing provisions (as per 4.1.10 of RID)	Label Number (as per 5.2.2 of RID)	Hazard Identification Number (as per 5.3.2.3 of RID)	Special provisions for carriage in Package (as per Chapter 7.2 of RID)	Provisions for carriage as express parcels (as per Chapter 7.6 of RID)	Special provisions for carriage Loading, unloading and handling (as per Chapter 7.5 of RID)	Transport category (as per 1.1.3.1 (c) of RID)	(as per chapter 3.3 of RID)	(as per Chapter 3.4 of RID)	(as per 3.5.1.2 of RID)
1	DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S	3142	P001		MP8 MP17	6.1	66			CW13 CW28 CW31	1	274	0	E5

Explanation - All codes and numbers mentioned in the Table shall invariably mean to be taken from Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) Appendix C – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail.”

14. In the said rules, in Chapter VIII, under heading - **ACIDS AND OTHER CORROSIVES**, after Table VIII, the following Table VIIIA shall be inserted, namely:-

**“TABLE VIIIA
ACIDS AND OTHER CORROSIVES**

S.Number	Name of the substance or article	UN Number	Packing			Exceptional or Additional rules regarding Marking and Labeling		Exceptional Rules regarding carriage in brake-van of Passenger, Mixed or Parcels Train		Exceptional or Additional Stowage and Carriage Rules		Special provisions	Limited quantity	Excepted Quantity
			Packing instructions (as per 4.1.4 of RID)	Special packing provisions (as per 4.1.4 of RID)	Mixed packing provisions (as per 4.1.10 of RID)	Label Number (as per 5.2.2 of RID)	Hazard Identification Number (as per 5.3.2.3 of RID)	Special provisions for carriage in Package (as per Chapter 7.2 of RID)	Provisions for carriage as express parcels (as per Chapter 7.6 of RID)	Special provisions for carriage Loading, unloading and handling (as per Chapter 7.5 of RID)	Transport category (as per 1.1.3.1 (c) of RID)	(as per chapter 3.3 of RID)	(as per Chapter 3.4 of RID)	(as per 3.5.1.2 of RID)
1	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.	1903	P001		MP8 MP17	8	88				1	274	0	E0

Explanation - All codes and numbers mentioned in the Table shall invariably mean to be taken from Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) Appendix C – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail.”

15. In the said rules, after Chapter VIII following chapter shall be inserted, namely -

**“Chapter 9 : MISCELLANEOUS DANGEROUS SUBSTANCES AND ARTICLES
Dangerous goods under Railways Act, 1989 (24 of 1989)**

901. Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX shall be deemed to be dangerous goods under the Railways Act, 1989 (24 of 1989).

General restrictions on conveyance of Miscellaneous Dangerous Substances and Articles

902.1. Miscellaneous Dangerous Substances and Articles to be accepted only under the Rules laid down – A Railway Administration shall accept only the Miscellaneous Dangerous Substances and Articles specified in Table IX for conveyance by rail, subject to the rules and in accordance with the conditions set forth in this Chapter.

902.2. Railway's right to refuse to convey. — Notwithstanding anything contained in these rules, a Railway Administration may notify that it shall not convey by rail for the public any particular articles specified in Table IX, and after the issue of such a notice, no such articles shall be accepted for conveyance by the said administration on section or stations in respect of which such notification has been issued.

Notice of Despatch to be given by sender

903.1. Notice of dispatch compulsory.—Subject to any exceptions notified by the Railway Administration from time to time, no consignment of articles specified in Table IX shall be forwarded to the railway for dispatch or accepted for conveyance by rail, unless previous notice of intention to send such consignment has been given as prescribed in rule 903.2 and, unless the Officer-in charge of the station from which the consignment is proposed to be dispatched, has intimated in writing that the consignment can be received.

903.2. Particulars to be given in the notice. — The notice required under rule 903.1 shall be addressed to the Officer-in-charge of the station from which the goods are proposed to be dispatched and it shall be sent at least 48 hours before the consignment is brought to the station, unless a shorter period is prescribed by a Railway Administration concerned, and the notice shall contain a statement of the following particulars, namely:-

- (i) the true name, description and quantity of the articles in the consignment;
- (ii) the name and address of the consignor;
- (iii) the name and address of the consignee;
- (iv) a declaration that the articles have been "Packed and marked in accordance with the rules laid down in the Red Tariff", as per rules 905 and 906.

Note: (i) The forwarding note, complete in all respects, tendered 48 hours in advance of the date of offering of the consignment for booking, shall be deemed to be a proper notice under this rule.
(ii) When the Officer-in charge of the railway station or shed is in a position to accept the goods, he shall inform the same to the consignor in any reasonable manner and such information shall be deemed as proper intimation to the consignor under this rule.

Certificates, Forwarding Notes, etc., to be obtained by railway staff

904. It shall be incumbent on the railway staff in the case of every consignment of articles specified in Table IX, to obtain from the consignor a Forwarding Note complete in all respects in the form specially prescribed (Annexure –A of Red Tariff Rules, 2000).

Packing

905. Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX to be transported only when packed in prescribed manner given in the packing column of the Table IX.

Marking and labeling of packages

906. Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX to be transported only when marking and labeling of the packages done in prescribed manner given in the marking and labeling column of Table IX.

Marking by Railway

907. Every package containing of Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX shall be properly marked with railway marks, indicating the code initials of the forwarding and destination stations, the invoice or way-bill number and the number of packages in the consignment.

Responsibility of Railway Staff

908. The railway staff while accepting consignments of Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX for transport by rail, shall ensure that-

- (i) the declared weight of the articles in any one package, as ascertained from the markings thereon, or the weight of the package, does not exceed the maximum laid down in column of Table IX, if any; and
- (ii) the outermost package is in accordance with these rules.

Storage

909. (a) It shall be the duty of every Officer-in-charge of a station to cause every package of Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX which is proposed to be dispatched by rail or which has been received at any station for transshipment or delivery to the consignee, to be stored in a well ventilated enclosed shed or an open shed, namely, a shed roofed over for weather protection but not having enclosing walls.

(b) Wherever such storage accommodation is not available, the packages, containing Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX may be stored in a covered iron wagon, and if this is also not possible, they may be kept in an open space completely covered with tarpaulins or other suitable material.

(c) While storing Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX all precautions laid down in rule 910 shall be observed.

Precautions to be observed in handling and storing Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX

910.1. Time of loading and unloading.— All operations connected with the loading, unloading and handling of Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX shall be conducted in adequate lighting.

910.2. Handling of packages.— (1) Packages containing Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX shall not be thrown, dropped down or dragged along the ground or floor and care shall be exercised to avoid striking them against any hard object.

(2) When loading and unloading heavy drums or casks cushions of a suitable type, thick coir matting, felt, bags filled with saw-dust, or similar protection shall be used to avoid damage to the drums or casks and to prevent leakage.

(3) Whenever practicable, packages containing Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX shall be carried or conveyed on trolleys or hand-barrows.

910.3. Prohibition of storage and handling with dangerous substances.— Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX shall not be stored or handled with or near explosives, other dangerous goods or articles of inflammable nature or empties which have contained petroleum or other inflammable liquids.

910.4. Prohibition of storage and handling with foodstuffs.— Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX shall not be stored or handled with or near foodstuffs or foodstuffs empties.

910.5. Protection from sun, rain and snow.— Packages containing Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX shall not be exposed to sun, rain or snow shall not be kept on damp ground, and shall be protected with tarpaulins or other suitable material, whenever required.

Carriage of Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX in brake-van of passenger, mixed or parcels trains

911. Miscellaneous Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX, shall be carried only in the rear brake-van of passenger and mixed or parcel trains, provided that —

1. Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX are carried with other goods, shall be well-separated in the brake-vans from the other goods.
2. Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX are carried with other goods, shall be placed as far as possible from other packages in the brake-van and away from the tail light of the train.
3. the total quantity of all petroleum and other inflammable liquids in the brake-van of any one train at any one time shall not exceed 50 litres

Notice of Arrival

912. Notice to consignee of arrival of consignment.— The consignor shall ensure that notice of arrival of consignments of Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX is given to the consignee for all consignments to ensure that the same are removed promptly from Railway premises.

Delivery or Disposal otherwise

913.1. Delivery.— Consignments of Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX shall be removed by the consignee from the station or depot of the railway to which they have been transported as soon as they are made available for delivery.

913.2. Disposal if delivery not effected expeditiously.—

(1) If the consignments are still on hand after the expiry of free time allowed for their removal, a notice, as prescribed in section 84 of the Railways Act, 1989 (Number 24 of 1989) should immediately be served on the consignee in specified format.

(2) After the expiry of the period specified in the notice, consignment still unclaimed shall be sold/disposed off in accordance with the provisions of Section 83 and 84 of the Railways Act, 1989 (Number 24 of 1989).

Reports of Accidents

914. (1) Whenever there occurs any accident connected with any consignments of Dangerous Substances and Articles, specified in Table IX and attended with loss of life or serious injuries to persons or serious damage to property or of a description usually attended with such loss, injuries or damage, the person for the time being in charge of the consignment shall forthwith advise: -

(a) The Chief Controller of Explosives, Nagpur giving particulars of occurrence by available means of Communication such as: Telephone/Fax/E-mail etc. as per contact details below:-

Add: - A-Block, 5th Floor, CGO Complex, Seminary Hills, Nagpur-440006 (Maharashtra)

Tel.No:- 071-22510248 E-mail:- explosives@explosives.gov.in

(b) Controller of Explosives in whose jurisdiction the accident has taken place; and the Officer in- charge of the nearest Police Station by the quickest means of communication; and

(c) The Departmental Officers concerned.

(d) National Disaster Response Force (NDRF)

(2) pending the visit of the Chief Controller or his representative or until instructions are received from the Chief Controller or his representative that he does not wish any further investigation or enquiry to be made, all wreckage and debris shall be left untouched except in so far as its removal may be necessary for the rescue of persons injured and recovery of the bodies of any persons killed by the accident or for the restoration of through communication.

TABLE IX
MISCELLANEOUS DANGEROUS SUBSTANCES AND ARTICLES

S.Number	Name of the substance or article	UN Number	Packing			Exceptional or Additional rules regarding Marking and Labeling		Exceptional Rules regarding carriage in brake-van of Passenger, Mixed or Parcels Train		Exceptional or Additional Stowage and Carriage Rules		Special provisions (as per chapter 3.3 of RID)	Limited quantity (as per Chapter 3.4 of RID)	Excepted Quantity (as per 3.5.1.2 of RID)
			Packing instructions (as per 4.1.4 of RID)	Special packing provisions (as per 4.1.4 of RID)	Mixed packing provisions (as per 4.1.10 of RID)	Label Number (as per 5.2.2 of RID)	Hazard Identification Number (as per 5.3.2.3 of RID)	Special provisions for carriage in Package (as per Chapter 7.2 of RID)	Provisions for carriage as express parcels (as per Chapter 7.6 of RID)	Special provisions for carriage Loading, unloading and handling (as per Chapter 7.5 of RID)	Transport category (as per 1.1.3.1 (c) of RID)			
01	POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE, evolving flammable vapour	2211	P002 IBC08 R001	PP14 B3 B6	MP1 0	None	90		CE11	CW31 CW36	3	382 633 675	5 kg	E1
02	LITHIUM METAL BATTERIES (including lithium alloy batteries)	3090	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906			9A	90		CE2		2	188 230 310 376 377 387 636	0	E0
03	LITHIUM METAL BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT (including lithium alloy batteries)	3091	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906			9A	90		CE2		2	188 230 310 360 376 377 387 390 670	0	E0

04	LITHIUM METAL BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium alloy batteries)	3091	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906			9A	90		CE2		2	188 230 310 360 376 377 387 390 670	0	E0
05	LITHIUM-ION BATTERIES (including lithium-ion polymer batteries)	3480	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906			9A	90		CE2		2	188 230 310 348 376 377 387 636	0	E0
06	LITHIUM-ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT (including lithium-ion polymer batteries) or	3481	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906			9A	90		CE2		2	188 230 310 348 360 376 377 387 390 670	0	E0
07	LITHIUM-ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT (including lithium-ion polymer batteries)	3481	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906			9A	90		CE2		2	188 230 310 348 360 376 377 387 390 670	0	E0
08	LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium-ion batteries or lithium metal batteries	3536				9	90				-	389	0	E0

09	LIFE-SAVING APPLIANCES SELF-INFLATING such as aircraft evacuation chutes, aircraft survival kits and maritime life-saving appliances	2990	P905			9	90		CE2		3	296 635	0	E0
10	LIFE-SAVING APPLIANCE S NOT SELF-INFLATING containing dangerous goods as equipment	3072	P905			9	90		CE2		3	296 635	0	E0

11	SAFETY DEVICES electrically initiated	3268	P902 LP902			9	90		CE2		4	280 289	0	E0
12	BENZALDEHYDE	1990	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	9	90	W12	CE8	CW31	3		5 L	E1
13	AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER	2071										193		
14	CASTOR BEANS	2969	P002 IBC08	PP34 B4	MP10	9	90	W11	CE9	CW31	2	141	5 kg	E2
15	CASTOR MEAL	2969	P002 IBC08	PP34 B4	MP10	9	90	W11	CE9	CW31	2	141	5 kg	E2
16	CASTOR POMACE	2969	P002 IBC08	PP34 B4	MP10	9	90	W11	CE9	CW31	2	141	5 kg	E2
17	CASTOR FLAKE	2969	P002 IBC08	PP34 B4	MP10	9	90	W11	CE9	CW31	2	141	5 kg	E2
18	VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED	3166										388 666 667 669		
19	VEHICLE, FLAMMABLE LIQUID POWERED	3166										388 666 667 669		
20	VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE GAS POWERED	3166										388 666 667 669		
21	VEHICLE, FUEL CELL, FLAMMABLE LIQUID POWERED	3166										388 666 667 669		
22	BATTERY POWERED VEHICLE	3171										388 666 667 669		
23	BATTERY POWERED EQUIPMENT	3171										388 666 667 669		
24	FIRST AID KIT	3316	P901			9	90				see SP 671	251 340 671	see SP 251	see SP 340

Explanation - All codes and numbers mentioned in the Table shall invariably mean to be taken from Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) Appendix C – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail.”

[F. No. 2022/TC(FM)/01/02]

MUDIT CHANDRA, Executive Director, Freight Marketing

Note : The principal rules were published in the Gazette of India Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R.266, dated 15th July, 2000 and was last amended vide notification number G.S.R 744(E) dated 29th September, 2022.

